राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (255) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/विविध/ 2015–16 जयपुर, दि. 27.जुलाई, 2016

जिला कलेक्टर,

समस्त, राजस्थान।

विषयः– विभिन्न कार्यो के सम्पादन एवं निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नही होने पर नियमानुसार शास्ति/अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत।

प्रसंगः– ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र कमांक एफ 4 (14)संविदा/विधि/पंरा/2012/846 दि. 05.04.2016

विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने के लिए ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2010 के बिन्दु संख्या– 22.10 में वर्णित निर्धारित अधिकतम समयावधि को प्रांसागिक परिपत्र द्वारा पुनः निर्धारित/यथा संशोधित किया गया है। ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के बिन्दु संख्या 22.11 के अनुसार कार्यकारी संस्था/राजकीय विभागों द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्य/आपूर्ति में विलम्ब के लिए शास्ति आरोपित करने का प्रावधान है। साथ ही कार्यकारी संस्था/राजकीय विभागों द्वारा विभागीय स्तर पर सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो में विलम्ब के लिए बिन्दु संख्या– 22.12 में संस्था/विभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जांच करवाकर जिम्मेदारी तय कराई जाकर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का भी स्पष्ट प्रावधान है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही सभी योजनाओं की स्वीकृतियां, भौतिक प्रगति, उपयोगिता व पूर्णता प्रमाण–पत्र का पर्ववेक्षण विभागीय सॉफ्टवेयर आईडब्ल्यूएमएस के माध्यम से किया जा रहा है। जिलों द्वारा योजनावार सॉफ्टवेयर पर दर्ज प्रगति अनुसार निर्माण कार्यो की तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति जारी करने में भी निर्धारित समयावधि से अधिक समय में जारी करने की रिपोर्ट सॉफ्टवेयर से ऑनलाईन उपलब्ध होने के उपरान्त जिला स्तर पर जीकेएन के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जानी की आवश्यकता है।

सभी योजनाओं की ऑनलाईन प्रगति की विभागीय स्तर पर समीक्षा उपरान्त अधिकांश निर्माण कार्य वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण नही करवाये गये है, जिससे बाजार दरों में वृद्धि होने से तदनानुसार लागत में वृद्धि होती है। विभिन्न योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार उपलब्ध राशि से कार्यो को पूर्ण कराने में विलम्ब होने से कार्यो के उपयोगिता /पूर्णता प्रमाण–पत्रों का भी निर्धरित समयावधि समायोजन नही हो पाता है, जिससे केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं की आगामी किश्त जारी होने में विलम्ब होता है। इसका मुख्य कारण कार्यकारी संस्थाओं के कार्यवार समुचित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा का अभाव दृष्टिगत होता है।

अतः समस्त निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण कराये जाने हेतु आपके स्तर से समुचित मानिटरिंग एवं समीक्षा की गहन आवश्यकता है। प्रासांगिक परिपत्र दिनांक 05.04.2016 के परिशिष्ठ 1 में वर्णित बिन्दु संख्या– 2 के अनुसार उक्त समयावधि में विशेष परिस्थिति में कार्य बाधित होने की अवधि को अनुमत किये जाने का प्रावधान है। जिसके कम में कार्य पूर्ण करने की अधिकतम अवधि में अधिकतम 6 माह की विशेष अवधि विकास अधिकारी स्तर पर तथा 6 माह से अधिक की अवधि मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला कलेक्टर स्तर पर समीक्षा उपरान्त अनुमत की जा जावे। कार्यो को

समय पर पूर्ण कराने के उद्देश्य से गत वर्षो के अपूर्ण कार्यो के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यो को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित कार्यकारी संस्थाओं को निर्देशित करावें। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने वाली कार्यकारी संस्था पर ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2010 के बिन्दु संख्या– 22 के अनुसार विलम्ब के लिए लापरवाह/दोषी व्यक्ति/कार्यकारी संस्था का चिन्हिकरण कर इनके विरूद्ध नियमानुसार शास्ति/ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जावे।

27/7/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त जलग्रहण विकास एंव भू–सरंक्षण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अध्किारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) समस्त राजस्थान।
7. परि. निदे. एंव पदेन उप सचिव (मो एवं मू)को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

27/7/16

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)